

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद : Hyderabad- 500 052.

Inter Office Note

Subject: Notified Recruitment Rules – Regarding

A copy of notified Recruitment Rules for the following posts are enclosed herewith for uploading the same on the Academy Website under “Recruitment Rules” column please.

- a. Wireless Operator
- b. Junior Engineer (Electronics)
- c. Senior Scientific *Assistant*
- d. Photographic Officer
- e. Painter cum Artist
- f. Administrative Officer Grade-II
- g. Junior Scientific Officer


(Dr. K P A Ilyas)
Asstt. Director (Estt)

Asstt. Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5

Dated: 24 .12. 2020

Internal

A1, A2, A3 and B-2 : To fill up the vacant posts as per the method of recruitment.

<p>pay matrix (Rs.35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following education qualifications and experience:</p> <p>(i) Diploma in Photography or Cinematography from a recognised University or Institution.</p> <p>(ii) Minimum five years experience in Photography (Color or Feature).</p> <p>Note 1.- The Departmental Cameraman in Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with five years of regular service in the grade and possessing the educational qualifications prescribed for deputationist will also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.</p>		
---	--	--

[F.No. 23011/28/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 175.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, चित्रकार एवं कलाकार भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में चित्रकार एवं कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, चित्रकार एवं कलाकार भर्ती नियम, 2020 हैं।
2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि**.— उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा और उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चित्रकार एवं कलाकार	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6(रु. 35,400-112,400)	लागू नहीं होता	आयु 30 वर्ष से अधिक न हो। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षिक योग्यता - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला या व्यवसायिक कला या अनुप्रयुक्त कला में स्नातक डिग्री। (ii) एक विज्ञापन या कोरपोरेट फर्म में एक कलाकार के रूप में दो साल का व्यावहारिक अनुभव या अंग्रेजी और हिंदी में पर्चे, पोस्टर, नक्शे, चार्ट, फ्री हैंड	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु 2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : दिसम्बर 5, 2020/अग्रहायण 14, 1942

1093

लेटरिंग कार्य के डिजाइन या लेआउट के तैयारी के संबंध में एक स्वतंत्र रूप में एक प्रलेखित प्रमाण के साथ। वांछित : प्रिंटिंग तकनीक या फोटोग्राफी में अनुभव और ग्राफिक्स, डिजाइन, चित्र आदि के लिए डिजाइन या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए इसका उपयोग करना।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा – केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन आने वाले अधिकारी :- (क) (i) नियमित आधार पर समतुल्य पदधारक ; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (रु. 29200-92300) स्तर-5 ग्रेड में नियुक्ति के बाद प्रदान की गई 6 साल की नियमित सेवा के साथ। (ख) मद संख्या 7 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के साथ। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह - 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. उप निदेशक – सदस्य 3. सहायक निदेशक – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 23011/57/2018-पीटी]
डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 175.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, (Painter-cum Artist) Recruitment Rules, 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Painter-cum-Artist in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Painter-cum-Artist, Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**— The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,-
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the above said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Painter-Cum-Artist	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable	Age not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Educational Qualifications: (i) Bachelors Degree in Commercial Arts or Fine Arts or Applied Arts from a Recognised University or Institution. (ii) Two years of practical experience as an Artist in an	Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation failing which by direct recruitment

Advertisement or Corporate Firm or with documented proof as a freelance in respect of preparation of design or layout of pamphlets, posters, maps, charts, free hand lettering work in English and Hindi. Desirable: Experience in printing techniques or photography and its application to designing or Computer software for graphics, designs, illustrations, etc.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation: Officials under the Central Government or State Governments or Union Territories:-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment in level-5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7).</p> <p>Note-1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years further extendable as per Government of India orders.</p> <p>Note-2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>	<p>Group-'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(i) Joint Director - Chairman; (ii) Deputy Director -Member; (iii) Assistant Director -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. 23011/57/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 176.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह